

प्रेषक, एन.सिंह सेंगर, समाजसेवी,
निवास ताजपुर, पत्रालय विधूना, जनपद औरैया।
सेवा में, महामहिम राष्ट्रपति जी,
भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110001,
माध्यम, जिलाधिकारी, जनपद औरैया, उत्तर प्रदेश।

मोबा 7302757448, ईमेल ns.sengar66@gmail.com

भारतीय समाज की समस्याओं और उनके निराकरण हेतु आपन

महोदय,

भारतीय नागरिक विशेष कर उ.प्र. और उसका जनपद औरैया के गरीब-श्रमिक-कृषक और उनके प्रतिपाल्य गम्भीर समस्याओं से संघर्षरत हैं, जिनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है, सरकारी योजनाओं का धन-सम्पत्ति फर्जी गरीब कृषक बनकर हड़पी जा रही है, ग्राम-सदनों की खुली बैठकें कराए बिना ही आवास, शौचालय, पट्टे, चरागाह, पोखरे, भूमि अपात्रों को बेची जा रही है, अन्त्योदय पात्र फर्जी बने हैं, सरकारी बेसिक स्कूलों में छात्र-पढ़ाई न होने के बावजूद शिक्षकों का चयन जारी है, कालेजों के प्रबंधन अमानक हैं, कालेज प्रबंधक एवं उनके परिजन प्राचार्य बनकर कालेज धन-सम्पत्ति का दुर्पयोग कर राजनीति कर रहे हैं, जिस पर जबाबदेह अंकुश लगाए जाने हेतु निम्नलिखित सुझाव सादर प्रस्तुत हैं।

1. यह कि, अनेक संस्थान विभाग, आयोग, वि.वि. सरकारी-सार्वजनिक नौकरी-भर्तियों में परीक्षा साक्षात्कार के नाम पर आवेदक-बेरोजगारों से शुल्क की मोटी रकम वसूलने के बावजूद शुल्क का उपभोग परीक्षार्थी के यात्रा-आवास भत्तों में करके स्वयं वेतनभोगी कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा दुर्पयोग व आपस में बंदर-बॉट कर हड़पा जा रहा है।
2. यह कि, नौकरियों की भर्तियों हेतु भारतीय संघ-राज्यों में अनेक लोकसेवा चयन आयोग, नियामक, भर्ती समितियाँ बोर्ड संचालित हैं। जिनकी भर्ती-प्रक्रिया समान होने के बावजूद शुल्क रु.25 से रु.3000 तक अलग-अलग होती है और इनके अधिकांश परीक्षक सरकारी कर्मचारी-अधिकारी और वेतनभोगी होते हैं तथा अपनी निर्धारित ड्यूटी से अनुपस्थित रहने व वेतन लेने के बावजूद परीक्षक बनकर शुल्क में बंदरबांट कर लाभ ले रहे हैं, अंकुश लगना चाहिए।
3. यह कि, नौकरी हेतु आवेदन करने वाले अधिकांश आवेदक गरीबी-मुखमरी व बेरोजगारी के शिकार हैं, जो नौकरी भर्ती शुल्क दान पाने में असमर्थ रहने और नौकरी-भर्तियों में भ्रष्टाचार के पनपते नौकरी पाने से बंधित हो रहे हैं।
4. यह कि, अधिकांश कालेज-वि.वि.शुल्क लेने के बावजूद न तो रसीद देते हैं और न ही शिक्षकों को मानकीय वेतन देकर मानकी शिक्षण कराते हैं तथा गरीब छात्रों से अवैध धन उगाही करके छात्रवृत्ति-शुल्क प्रतिपूर्ति हड़प लेते हैं।
5. ग्राम-नगरों के बाहरी-फर्जी निवासियों के वोट-पदासीनता निरस्त होनी चाहिए व पंचायत बैठकें नियमित होनी चाहिए।
6. सरकारी योजनाओं का लाभ आवंटन में फर्जीबाड़ा तथा क्रय-विक्रय, रिश्वत, अपात्र-चयन बन्द होना चाहिए।
7. निकाय-निर्वाचित स्त्रियों के स्थान पर परिजनों द्वारा जारी पदासीनता, फर्जीबाड़े, वसूली पर अंकुश लगना चाहिए।
8. मार्ग-बस्तियों में लगे सरकारी हेण्डपम्पों में दबंगों द्वारा समरसेबिल डालकर हुए अतिक्रमण पर अंकुश लगना चाहिए।
9. गरीबों-असहायों के आवासों में स्वच्छ पेयजल सहायता आसानी से और नियमित उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
10. कृषकों को कृषि साधनों सहित अपने प्रत्येक खेत पर आसानी से आने-जाने हेतु रास्ते तत्काल उपलब्ध होने चाहिए।
11. ग्रामों-मजराओं के चक्रोड-रास्ते-तालाबों-चरागाहों-स्कूलों-मवनों पर हुए अवैध कब्जे-पट्टे तत्काल हटने चाहिए।
12. ग्राम-बस्तियों-आवासों के निकट कूड़े-डेर हटवा कर सफाई कर्मियों से नियमित सफाई कराई जानी चाहिए।
13. आवास और जंगली पशु फसल व जन-जीवन बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, तत्काल अंकुश लगना चाहिए।
14. दरिद्र भोजन निकृष्ट ईंधन से बनता है जबकि दरिद्रों हेतु बांटे गए सिलेंडरों का फर्जी आवंटन निरस्त होने चाहिए।
15. गरीब आवासों की स्थिति अच्छी नहीं है। उनके निवास स्वच्छ हवादार भवन में नहीं है और न ही रहने हेतु स्वच्छ वातावरणयुक्त घर है, यह गंदे वातावरण में झोपड़ी या गंदे नालों या फुटपाथ पर प्लास्टिक तान कर रह रहे हैं।
16. वास्तविक गरीब और उनके प्रतिपाल्य उपयुक्त आवासों में रहने से वंचित हैं। इनको आवास मिलने चाहिए।
17. समाज में 53.8% दरिद्र एवं 37.2% उनके आश्रित रोगी-कुपोषित हैं और कुल 41.9% दरिद्र एवं 49% दरिद्रों के बच्चों का स्वास्थ्य कमजोर है। जिनका संरक्षण जबाबदेह होना चाहिए।
18. गरीबी उन्मूलन संबंधी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी गरीबों तक पहुँचाने वाले उपलब्ध स्रोत न ही दरिद्रों की मदद कर रहे हैं और न ही दरिद्रता उन्मूलन दायित्वों का निर्वाहन कर रहे हैं जिससे दरिद्रता उन्मूलन हेतु उपलब्ध स्रोत व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं, गम्भीर एवं विचारणीय तथ्य है। अनावश्यक व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए।
19. फर्जी ड्यूटी का वेतन, दलाली, अवैध वसूली, नकल परीक्षा, बालश्रम, जातिवाद, बालविवाह, आत्महत्या, मादक द्रव्य सेवन, वैश्यावृत्ति, अस्मृश्यता, बलवा, चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, शोषण पर जबाबदेह अंकुश लगना चाहिए।
20. सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में गरीबों-असहायों व मुखमरों की उपेक्षा पर अंकुश लगना चाहिए।
21. गरीब परिवार भोजन-शिक्षा अभाव, गंदगी, अशुद्ध जल से प्रभावित रहता है। सुधार होना चाहिए।
22. गरीब के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं का लाभ दरिद्रों को न मिल पाने का कारण दरिद्रता, अशिक्षा, फर्जीबाड़ा, रिश्वत भ्रष्टाचार है। जिनका उन्मूलन एवं दोषी दंडित होने चाहिए।
23. मानकविहीन शिक्षण-प्रशिक्षण ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। नकल, ट्यूशन, डिग्री व्यापार से शिक्षा प्रदूषित हो रही है। शिक्षा के मानकीय प्रावधानों का अनुपालन होना चाहिए।
24. गौव-बस्ती के उद्योग-महूँ द्वारा जारी अमानक भू-खदान एवं उनके श्रमिक परिवारों से कराए जा रहे पशु तुल्य कार्यों एवं श्रमिक प्रतिपाल्यों की अशिक्षा-कुपोषणता के निर्मुलन की उपेक्षा पर जबाबदेह अंकुश लगना चाहिए।

आदर सहित।

दिनांक 25-01-2021

निवास-ताजपुर-विधूना, जनपद औरैया.